आदेश क्रमांक / तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश की गयी कार्रवाई तिथि सहित
1	2	3
25-08-10	**न्यायालय उपायुक्त, खूँटी** वाद संख्या– 618R15/96-97 DCTR No- 42R15/08-09 **हिरण साहू वगैरह – अपीलकर्त्ता** **बनाम** **राम नरेश भगत वगैरह – विपक्षी** **आदेश** यह रिवीजन आवेदन हीरण साहू, महेन्द्र साहू, कुसेन्द्रा साहू, पिता– भरत साहू, मनबोधन साहू, ललीत साहू, शंकर साहू, पिता– बाको साहू, महाबीर साहू, नन्दन साहू, तजेन्द्र साहू, राजेश साहू पिता– जतू साहू, चतुर साहू, अघनु साहू, रामचन्द्र साहू पिता स्व. हीरा साहू, शिवशंकर साहू, चन्द्रपाल साहू, भुनेश्वर साहू, पिता स्व. हरखु साहू, पंचान साहू पिता– मथरो साहू, ग्राम–तोरपा, थाना–तोरपा, जिला–रांची, लहीर साहू, पिता–स्व. कपील साहू, ग्राम–तोरपा, थाना–तोरपा, रांची (वर्तमान जिला–खूंटी) द्वारा भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, खूंटी के द्वारा दिनांक 28.11.96 को दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–14/86–87 में पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया। तत्पश्चात उभय पक्षों को विधिवत् नोटिस का तामिला तथा निम्न न्यायालय के अभिलेख की मांग की गयी। तामिला प्रतिवेदन तथा निम्न न्यायालय का अभिलेख संलग्न है। उभय पक्षों द्वारा उपस्थिति दी गयी तथा दिनांक 08.09.09 को उभय पक्षों द्वारा सुलहनामा आवेदन दाखिल किया गया तथा दिनांक 19.01.2010 को उभय पक्षों द्वारा दिनांक 22.01.2010 की निर्धारित तिथि को Recall कर दिनांक 19.01.2010 को सुनवाई करने हेतु अनुरोध किया गया। सुलहनामा आवेदन पत्र पर उल्लेख किया गया है कि उक्त वाद मौजा बिरता, थाना तोरपा, थाना नं. 67, जिला खूंटी के अन्दर खाता नं. 166 प्लॉट नं. 16 एवं 76 रकवा 4.19 एकड़ तथा 1.25 एकड़ कुल रकवा 5.44 एकड़ जमीन टांड़ एवं दोन को लेकर उभय पक्षों के बीच दायर किया गया है। उक्त विवादित जमीन प्लॉट नं. 16 रकवा 4.19 एकड़ मधे रकवा 0.44 एकड़ को अपीलकर्त्ता के पक्ष में छोड़ा जा रहा है ताकि अपीलकर्त्ता के बीच बंटवारा में सुविधा हो। शेष 5.00 एकड़ जमीन विपक्षियों के पक्ष में दिनांक 04.09.09 को बंटवारा हो गया। उपरोक्त सुलहनामा	

	में दर्शाये गये तथ्यों को स्वीकार करते हुए मुकदमा नहीं लड़ने का अनुरोध किया गया है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में इस वाद की अग्रेतर कार्रवाई बिना किसी प्रभावी आदेश के समाप्त किया जाता है। विधि–व्यवस्था एवं प्रशासनिक कार्यों में व्यस्तता के कारण आज दिनांक 25/08/2010 को आदेश पारित किया गया। लेखापित एवं संशोधित। 25/8/10 उपायुक्त खूँटी 25/8/10 उपायुक्त खूँटी	3म–210 14-07-12 LCR send